फॉर्म–जी
रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण हेतु
सी जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में पेट्रोलियम खुदरा/ईंधन खुदरा उद्योग
(दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम(1) के अधीन)

प्रासंगिक विवरण

1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी संख्या के साथ कॉर्पोरेट ऋणदाता का नाम	**सी जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड** CIN- U36911PB1999PTC022180 PAN – AACCC2650B
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	एनएच -1 राजपुरा-सरहिंद हाईवे, केएम-स्टोन 242, गाँव-पटारसी, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब-140406
3.	वेबसाइट का यूआरएल	उपलब्ध नहीं
4.	उस स्थान का विवरण जहां अचल संपत्तियों का बहुमत स्थित है	एनएच -1 राजपुरा-सरहिंद हाईवे, केएम-स्टोन 242, गाँव-पटारसी, फतेहगढ़ साहिब, पंजाब-140406
5.	कॉर्पोरेट ऋणदाता के मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	कॉर्पोरेट देनदार, राजपुरा-सरहिंद हाईवे पर केएम स्टोन 242 पर एक फ्यूल स्टेशन चला रहा है। इसकी कुल स्टोरेज क्षमता 242केएल है।
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	वित्त वर्ष 2024-25 में बिक्री: रु. 86,06,12,243 वित्त वर्ष 2023-24 में बिक्री: रु. 124,54,98,280
7.	कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या	कर्मचारी - 11 श्रमिक - 24
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ), लेनदारों की सूची, प्रक्रिया की बाद की घटनाओं हेतु प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण यहां उपलब्ध हैं:-	cirp.cgems@gmail.com पर ईमेल द्वारा अनुरोध भेजा जा रहा है।
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां यूआरएल पर उपलब्ध है:	cirp.cgems@gmail.com पर ईमेल द्वारा अनुरोध भेजा जा रहा है।
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	22/05/2026
11.	संभावित संकल्प आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	25/05/2026
12.	अनंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30/05/2026
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	02/06/2026
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तिथि	04/06/2026
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	04/07/2026
16.	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए संसाधित ईमेल आईडी	cirp.cgems@gmail.com
17.	एमएसएमई के रूप में कॉर्पोरेट देनदार की पंजीकरण स्थिति का विवरण	कॉर्पोरेट देनदार एमएसएमई के तहत 'मध्यम उद्यम' के रूप में पंजीकृत है। पंजीकरण संख्या: UDYAM-PB-05-0021741

मनोज सहगल
समाधान पेशेवर
सी जेम्स एंड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/IP-N00108/2017-18/10256
पता: फ्लैट 71, टावर- बबूल 2, वटिका सिटी, सेक्टर 49, गुड़गांव, हरियाणा-122018
प्रक्रिया ईमेल: cirp.cgems@gmail.com

तिथि: 07.05.2026
स्थान: गुड़गाँव

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी–4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई–600032 **चंडीगढ़ शाखा :** एससीओ 350–351–352, तृतीय तल, सेक्टर 34 ए, चंडीगढ़–160022, **यमुनानगर शाखा :** एससीओ 105, प्रथम तल, सेक्टर 17 हुडा कॉमर्शियल बेल्ट, पेट्रोल पंप के पास, कोर्ट रोड, जगाधरी, यमुनानगर– 135003, **पौंटा साहिब शाखा :** प्रथम तल, खसरा नंबर 401/28, मोहाल उप–समदा, केदारपुर, तहसील–पाओंटा साहिब (हिमाचल प्रदेश)– 173025

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उस पर ब्याज के साथ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज और अन्य प्रभारों के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित पूरी बकाया राशि बिक्री की अधिसूचना जारी होने से पहले चुकाकर प्रतिभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं.	कर्जदार का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	ऋण खाता संख्या :– **HE01LCA00000107400** कर्जदार/सह–कर्जदार : 1. स्वर्गीय श्री राम भज शर्मा के सभी कानूनी वारिस (ज्ञात और अज्ञात), 2. प्रोमिल शर्मा, पुत्र स्व. राम भज शर्मा, 3. नवीन शर्मा, पुत्र स्व. राम भज शर्मा, 4. मोनिका शर्मा पुत्री स्व. राम भज शर्मा 5. शीला पत्नी स्व. राम भज शर्मा 6. प्रोमिल जनरल स्टोर इसके स्वामी (प्रोमिल शर्मा) के माध्यम से सभी का पता : यमुना विहार कॉलोनी, भूपपुर 118, मोती लाल डी.एस.पी. के पास, तहसील पौंटा साहिब, सिरमौर, 173025, हिमाचल प्रदेश	09–02–2026	रू. 41,58,561/– 09–02–2026 तक + उस पर आगे ब्याज	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : अचल संपत्ति परिमाप 00–01–26 हेक्टेयर, जो भूपपुर II, तहसील पौंटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रजिस्टर्ड सेल डीड वसीका नंबर 605 दिनांकित 27/04/2006 और मॉर्गेज डीड रजिस्ट्रेशन नंबर 1507/2025 दिनांकित 07/05/2025 के माध्यम से पंजीकृत।	05–05–2026

तिथि : 07–05–2026
स्थान : चंडीगढ़/पौंटा साहिब

प्राधिकृत अधिकारी
मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 2401, जन. थिमैय्या रोड (कैन्टोन्मेंट), पुणे– 411 001
उपभोक्ता वित्त प्रभाग : नवीन सं. 34, जी. एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई – 60017
राज्य कार्यालय : इंडसइंड बैंक लिमिटेड, सीएफडी एएचएल शाखा, प्रथम तल, भूखंड सं. बी–10 एवं 11 पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान 302020

अधिग्रहण सूचना
(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत उक्त अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत उक्त नियमावली) के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं/गारंटरों को निर्गत की थी, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

ऋणकर्ता(गण) उक्तावधि के अंदर भावी ब्याज के साथ निर्धारित उक्त बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में और जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां इसमें निम्न तालिका में ऋणकर्ताओं/गारंटरों के नामों के समक्ष अंकित तिथियों पर, साँकेतिक अधिग्रहण कर लिया है। उक्त संपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, ऋणकर्ताओं के नामों के समक्ष अंकित राशियों तथा इन राशियों पर नियत आकस्मिक व्ययों, लागत, शुल्कों तथा ब्याज हेतु मैसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रभाराधीन होगा। ऋणकर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता / गारंटर का नाम, ऋण अनुबंध सं.	मांग सूचना तिथि / अधिग्रहण तिथि	बकाया राशि
1.	**ऋणकर्ता :** श्री हंसा राम पुत्र मुपाराम **सह–ऋणकर्ता :** सुश्री/श्रीमती वीणा पत्नी हंसा राम **गारंटर :** खासा राम पुत्र हीरा राम **समझौता संख्या :** आरडीएल05065एम **दिनांकः** 29.05.2023	22.09.2025 **अधिग्रहण तिथि** 01.05.2026	रु. 4,05,806.43/– (रुपये चार लाख पाँच हजार आठ सौ छह और तैंतालिस पैसे मात्र) दिनांक 22.09.2025 के अनुसार

बंधक संपत्ति का विवरणः आवासीय पट्टा सं. 1980 से समाविष्ट अचल संपत्ति के समस्त वे भाग तथा अंश, जो ग्राम मालपुरा, तहसील– अहोर, जिला– जालोर, जालोर, पिन कोड 347030 में स्थित हैं, जिनका क्षेत्राधिमापन 300 वर्ग गज है तथा जो निम्नानुसार परिसीमित हैं, सीमाएंः– उत्तरः लासा राम पुत्र मुपा जी, दक्षिणः भामरा राम पुत्र रामा जी, पूर्वः शासन की भूमि, पश्चिमः आम रास्ता।

दिनांक : 01–05–2026
स्थान : राजस्थान

हस्ता./– (प्राधिकृत अधिकारी)
कृते इंडसइंड बैंक लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") और कम्पनी रजिस्ट्रार, कॉर्पोरेट मंत्रालय ("आरओसी") द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसरण में, कम्पनी का नाम ट्रिलियनलोन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से बदलकर रेजिलिएंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया है, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट नंबर डीपीटी–324, तृतीय तल, डीएलएफ प्राइम टावर्स, प्लॉट नंबर एफ–79–80, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज– I, नई दिल्ली –110020, भारत में स्थित है।

कम्पनी गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (एनबीएफसी) का व्यवसाय करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र की धारक है।

आरओसी ने 24 फरवरी 2026 को एक नया निगमन प्रमाणपत्र (CIN : U65100DL2018PTC 445221) जारी किया है, और आरबीआई ने 30 अप्रैल 2026 को पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR No- N-14.03656) जारी किया है, जो नाम का परिवर्तन दर्शाता है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि नाम के परिवर्तन से कम्पनी के किसी भी अधिकार अथवा दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पुराने नाम से की गई सभी वर्तमान संविदाएं, अनुबंध और व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेंगी।

तदनुसार, कम्पनी को अब से सभी प्रयोजनों हेतु रेजिलिएंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाएगा।

सभी संबंधित हितधारकों, ग्राहकों, ऋणग्राहियों, ऋणदाताओं तथा सर्वसाधारण से उपरोक्त परिवर्तन नोट करने का अनुरोध किया जाता है।

कृते एवं हिते
रेजिलिएंट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में ट्रिलियनलोन्स फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत पताः एएन–21–बी, शालीमार बाग, दिल्ली – 110088
CIN: U74999DL2016PTC309684 | RBI Regn. No.: N14.03375

अचल संपत्ति की ई-नीलामी बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 उप-नियम 6 के अंतर्गत

आम जनता और निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है: **(1) श्री रणजीत गोसाई, पुत्र श्री उपेन गोसाई और (2) श्रीमती चंचल गोसाई, पत्नी श्री रणजीत गोसाई (ऋणकर्ता)** कि **बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड और गणपति फिन-लीज प्राइवेट लिमिटेड ("सुरक्षित लेनदार")** के पास गिरवी रखी गई उक्त अचल संपत्ति को **"जैसा है जहाँ है" और "जैसा है जो है"** के आधार पर ई–नीलामी के माध्यम से बकाया राशि **रुपये 37,17,029/- (सैंतीस लाख सत्रह हजार उनतीस रुपये मात्र)** की वसूली के लिए बेचा जाएगा, जो **4 मई 2026** तक लागू है, साथ ही सुविधा समझौते के अनुसार लागू होने वाले अतिरिक्त ब्याज और शुल्क भी इसमें शामिल होंगे।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ताओं के नाम	सुरक्षा संपत्ति का पता
BIZLN3115 / GAN041	(1) श्री रणजीत गोसाई, पुत्र श्री उपेन गोसाई - (2) श्रीमती चंचल गोसाई, पत्नी श्री रंजीत गोसाई	वृंदावन खादर गांव, तहसील एवं जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित खसरा संख्या 182 में शामिल संपत्ति का वह पूरा भाग, जिसमें 115 वर्ग गज 96.15 वर्ग मीटर का भूखंड और 215.11 वर्ग गज 179.85 वर्ग मीटर का भूखंड शामिल है, जिसका कुल क्षेत्रफल 330.11 वर्ग गज यानी 276 मीटर है, साथ ही उस पर निर्मित भवन भी शामिल है।

भौतिक कब्जा लिया गया	ईएमडी मूल्य 10%	आरक्षित मूल्य	निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तिथि और समय
2 अप्रैल 2026	रू. 7,00,000/- (सात लाख रूपये मात्र)	रू. 70,00,000/- (सत्तर लाख रूपये मात्र)	30 मई 2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच, पूर्व नियुक्ति के साथ	8 जून 2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. अधिकृत अधिकारी द्वारा सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ई–नीलामी का संचालन वेबसाइट **https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC/** के माध्यम से किया जा रहा है। ई–नीलामी उपरोक्त तिथि और समय पर आयोजित की जाएगी, जिसमें उपरोक्त गिरवी रखी गई संपत्तियों को **"जैसा है जहाँ है" और "जैसा है जो है"** स्थिति में बेचा जाएगा।
2. ई–नीलामी में भाग लेने के इच्छुक खरीदार/बोलीदाताओं को गिरवी रखी गई संपत्तियों के आरक्षित मूल्य के **10%** की वापसी योग्य बयाना राशि जमा करने का विवरण, पैन कार्ड की प्रतियां, कंपनी के मामले में बोर्ड संकल्प और पते के प्रमाण के साथ **06.06.2026** या उससे पहले जमा करना होगा। ई–नीलामी में असफल रहने वाले अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी राशि ई–नीलामी समाप्त होने के **7 (सात) दिनों** के भीतर वापस कर दी जाएगी। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
3. सफल क्रेता/बोलीदाता को अपनी बोली का 25% (ईएमडी सहित) डिमांड ड्राफ्ट/पोस्ट ऑर्डर के माध्यम से **"बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड"** के पक्ष में गुरुग्राम में देय **08.06.2026** यानी ई–नीलामी के दिन या अगले कार्य दिवस **09.06.2026** को जमा करना होगा। इस जमा राशि की पुष्टि सुरक्षित लेनदारों द्वारा की जानी आवश्यक है, अन्यथा बिक्री असफल मानी जाएगी और ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी। देय बिक्री मूल्य का शेष **75%** क्रेता द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री की पुष्टि के **पंद्रहवें दिन या उससे पहले** या कानून के प्रावधानों के अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा। सफल क्रेता/बोलीदाता को लागू कानून के अनुसार संपत्ति को उसके नाम हस्तांतरित कराने जाने के लिए देय सभी वैधानिक शुल्क, कर, शुल्क, स्टांप शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भुगतान करना होगा।
4. संपत्ति के निरीक्षण या अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक बोलीदाता अधिकृत अधिकारी **श्री राकेश भाटिया** से **मोबाइलः 9582404404** पर संपर्क कर सकते हैं, **बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड, 132, कुतुब प्लाजा, डीएलएफ सिटी फेज 1, गुरुग्राम, हरियाणा।** ई–नीलामी के किसी भी चरण में, अधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के बोली/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार/संशोधित/रद्द कर सकते हैं या ई–नीलामी को स्थगित कर सकते हैं।
5. उक्त बकाया राशि के लिए उत्तरदायी उधारकर्ता इस बिक्री सूचना को सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियमों के नियम 8 (6) के तहत एक सूचना मानेंगे। ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/गिरवीदारों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त उल्लिखित संपूर्ण बकाया ऋण का भुगतान ई–नीलामी की तिथि से पूर्व करें, अन्यथा सुरक्षित लेनदार सरफेसी अधिनियम 2002 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार संपत्ति बेच देंगे। ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/गिरवीदारों और आम जनता को सुरक्षित लेनदारों की पूर्व लिखित सहमति के बिना नोटिस में उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या किसी अन्य माध्यम से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांकः 07.05.2026
स्थान : गुरुग्राम

अधिकृत अधिकारी
बिजलोन प्राइवेट लिमिटेड और गणपति फिन-लीज प्राइवेट लिमिटेड

Unity Small Finance Bank Limited

कॉर्पोरेट कार्यालयः सेंट्रम हाउस, विद्यानगरी मार्ग, कलिना, सांताक्रूज (ई), मुंबई – 400098

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) नियम 8(1) देखें

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों को निम्नलिखित तिथि को मांग नोटिस जारी किया गया था, जिसमें सूचना में उल्लिखित राशि उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था। निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर राशि चुकाने में असफल रहे हैं, इसके द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को इसके द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्तियों के साथ लेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेन–देन यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार वास्ते उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा। उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि
1. जय अम्बे टेंट एंड कैटर्स (उधारकर्ता), प्रतिनिधित्व द्वारा ब्रिज किशोर सैनी 1/426 सेक्टर एच पहाड़पुर रोड जानकीपुरम लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226021, और मकान नंबर–ई.डब्ल्यू.एस– 1/425 और ई.डब्ल्यू.एस–1/426 सेक्टर एच, जानकीपुरम योजना वार्ड– जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226021 2. ब्रिज किशोर सैनी (सह–उधारकर्ता और बंधककर्ता) 1/426 सेक्टर एच, पहाड़पुर रोड जानकीपुरम लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226021 3. किरण सैनी (सह–उधारकर्ता) 1/426 सेक्टर एच जानकीपुरम लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226021 4. संदीप कुमार सैनी (सह–उधारकर्ता) 1/426 सेक्टर एच पहाड़पुर रोड जानकीपुरम लखनऊ, उत्तर प्रदेश 226021. ऋण खाता संख्याः USFBLUCLOAN000005011955 सांकेतिक कब्जा दिनांक – 04–05–2026	**मांग नोटिस दिनांक 07.02.2026, कुल राशिः रु. 24,93,887.34** (रुपये चौबीस लाख तिरान्वे हजार आठ सौ सत्तासी और पैसे चौंतीस मात्र) दिनांक 07.02.2026 तक प्लस लागू ब्याज और अन्य शुल्क इत्यादि

बंधक रखी गई/सुरक्षित संपत्ति(ओं) का विवरणः अचल आवासीय संपत्ति का संपूर्ण भाग और हिस्सा जोकि मकान संख्या ई– 1/425, क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर सेक्टर– एच, जानकीपुरम योजना, वार्ड– जानकीपुरम, तहसील एवं जिला– लखनऊ संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं– सीमाएं (बंधक/बिक्री दस्तावेज के अनुसार): पूर्वः मकान संख्या 1/424, पश्चिमः मकान संख्या 1/426, उत्तरः 9 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः मकान संख्या 1/452

दिनांकः 07.05.2026, स्थानः उत्तर प्रदेश
हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

ऋणकर्ता को सूचना

ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं:– **श्री पुलकित शर्मा, श्रीमती पूनम यादव ((प्रॉस्पेक्ट संख्या IL10088703)** सरफेसी अधिनियम के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल–एचएफएल) के **अधिकृत अधिकारी द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति, संपत्ति संख्या 07, पुराने प्लॉट संख्या 75ए और 76ए के भाग पर स्थित, 57.69 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, नगला रामबल, नाराइच, एत्मादपुर, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत–282006** पर कब्जा लेने के बाद, ऋणकर्ता/ऋणकर्ताओं से देय राशि की वसूली के लिए अधिकृत अधिकारी को सूचना भेजी जाती है।

उपर्युक्त उधारकर्ताओं को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने उन घरेलू सामानों को, जो भौतिक कब्जा लेते समय सुरक्षित संपत्ति में पड़े थे, 07 दिनों के भीतर वहाँ से उठा लेंय अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएल को उन चल संपत्तियों को वहाँ से हटाकर किसी गोदाम में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में, मूवर्स एंड पैकर्स (सामान ढोने वालों) की अतिरिक्त लागत, गोदाम का किराया और भंडारण शुल्क का भुगतान करने के लिए आप ही उत्तरदायी होंगे। ये सभी खर्च आपसे ही वसूले जाएँगे, और इन सभी का पूरा भुगतान करने के लिए आप बाध्य होंगे। इसके अलावा, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि यदि वे ऊपर बताई गई चीजों को लेने में असफल रहते हैं, तो उन्हें कानून के अनुसार बेच दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए, आईआईएफएल–एचएफएल के टोल–फ्री नंबर 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार, सुबह 09:30 बजे से शाम 18:00 बजे के बीच संपर्क करें या auction.hl@iifl.com पर ईमेल लिखें।

कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 98, फेज–IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा–122015।
स्थान : आगरा, **दिनांक :** 05–मई–2026
हस्ताक्षर/–,
अधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल–एचएफएल)
(पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कब्जा सूचना
एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759
रिटेल सेन्ट्रल और रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, ऑफ सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098

परिशिष्ट IV (नियम–8(1)) कब्जे का नोटिस (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित उधारकर्ता(ओं) को एक मांग नोटिस जारी किया था जिसमें नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था।

तत्पश्चात, इसमें उल्लिखित समनुदेशक ने वित्तीय परिसंपत्तियों को एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड को, स्वयं के रूप में या नीचे उल्लिखित ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए, समनुदेशित कर दिया है (जिसे इसके बाद "ईएआरसी" के रूप में संदर्भित किया गया है)। तदनुसार, सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 5 के तहत निष्पादित समनुदेशन समझौतों के अनुसरण में, ईएआरसी ने समनुदेशक का स्थान ले लिया है। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता के संबंध में, समनुदेशक के सभी अधिकार, स्वत्व और हित, अंतर्निहित सुरक्षा हितों गारंटी और गिरवी के साथ अब ईएआरसी में निहित हो गए हैं और ईएआरसी सुरक्षित लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष वर्णित तिथि को ले लिया है।

क्र. सं.	असाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नं.	कर्जदार/सह–कर्जदार का नाम	राशि और मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि	कब्जे का प्रकार
1.	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	EARC Trust SC – 468	39846943	यूनिक इंटरप्राईजेज (उधारकर्ता) इसके प्रोपराईटर द्वारा मो. इरफान, (उधारकर्ता) जकीरुन निसा (सह–उधारकर्ता) जुहैब अहमद सिद्दीकी (सह–उधारकर्ता) मोहम्मद इरफान (सह–उधारकर्ता)	रु. 58,61,597.42 (रुपये अट्ठावन लाख इकसठ हजार पाँच सौ सत्तान्वे और पैसे ब्यालीस मात्र) तथा 22.12.2025	05.05.2026	सांकेतिक कब्जा

संपत्ति का विवरणः संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि दुकान नं. यू–2 (यूजीएफ) क्षेत्रफल 702 वर्ग फुट, यानी 65.241 वर्गमी. निर्मित प्लॉट नं. 81, प्रगति विहार, सीतापुर रोड स्कीम, लखनऊ निम्नानुसार परिबद्धः पूर्वः अन्य संपत्ति पश्चिम – 5 फीट सामान्य मार्ग, उत्तर – सामान्य मार्ग और लिफ्ट और दुकान नं. यू–1, दक्षिण – दुकान नं. यू–3

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को संपत्ति से संबंधित लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी लेन–देन एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार वास्ते राशि और उस पर भावी ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

स्थानः लखनऊ
दिनांक 05.05.2026

प्राधिकृत अधिकारी
कृते एडलवाइस एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

Edelweiss
Asset Reconstruction

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
ई–नीलामी सूचना । विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र, दही चौकी, उन्नाव पर उपलब्ध स्क्रैप सामग्री को विक्रय किये जाने हेतु M/s M.S.T.C. द्वारा ई–ऑक्शन के माध्यम से ई–निलामी के लिए बोली लगाये जाने हेतु आमंत्रित किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है :– 1. MSTC/LKO/UTTAR PRADESH POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED/7/UNNAO/26-27/7563 ई–ऑक्शन, दिनांक 18.05.2026 उपरोक्त नीलामी से सम्बन्धित नीलामी सूची तथा अन्य नियम व शर्तें M/s M.S.T.C. की वेबसाइटः www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध हैं। नीलामी से सम्बन्धित जानकारी और संशोधन (यदि कोई हो, तो) केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही अपलोड किये जायेंगे। सम्बन्धित अधिकारियों से सम्पर्क करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, दही चौकी, उन्नाव ई–मेलः– ee400unnao@upptcl.org /मोबाइल नम्बर 9450909439 पर सम्पर्क करें। **"राष्ट्र हित में बिजली बचायें"** हस्ता./–अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, उन्नाव। पत्रांक :– 1219/ई0एस0डी0यू0/ ESDU/ दिनाँक– 06.05.2026

---

pnb Housing Finance Limited
Ghar Ki Baat

परिशिष्ट–IV–ए ई–नीलामी– अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना
पंजीकृत कार्यालय : 9वीं मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001, दूरभाष : 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : pnbhousing.com
शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, समृद्धि कॉम्पलेक्स, सूट नं. 104–105, ब्लॉक नं. 38/ए4, संजय प्लेस आगरा–282002

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कॉलम ए में अंकित कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभावित कॉलम डी में नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति(यां), जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जैसा कॉलम सी में वर्णित है) मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया है, निम्नलिखित विवरणों के अनुसार उसकी बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है यही है और जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जाएगी। एतद्वारा अब तक संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत कॉलम अ में अंकित कर्जदार(रों)/बंधककर्ता(ओं)/विधिक उत्तराधिकारी(यों), विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), एक्जीक्यूटरी, प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), संबंधित कर्जदारों/बंधककर्ता(ओं) (मृतक) के एसाइनी(यों), जैसा मामला हो, को एतद्वारा सूचना दी जाती है। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल), प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट **www.pnbhousing.com** देखें।

ऋणसं./कर्जदार/सहकर्जदार/जमानती(यों)/विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (A)	मांगकृत राशि तथा तिथि (B)	कब्जे की प्रकृति (C)	बंधक सम्पत्ति का विवरण (D)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (E)	ईएमडी (आरपी का 10%) (F)	संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि (G)	संविदा वृद्धि दर (H)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (I)	नीलामी की तिथि एवं समय (J)	ज्ञात ऋण भार/कोर्ट केस, यदि कोई (K)
HOU/AGR/0522/987528 आत्मा सिंह/श्रीमती श्वेता सिंह शा.का. : आगरा	रु.30,41,166.40 तथा 22.05.2025	भौतिक	प्लॉट नं. 19 पर मकान, खसरा नं. 436 का हिस्सा, ग्राम सुगामऊ, वार्ड इन्द्रा प्रियदर्शिनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001	रु. 39,34,000/–	रु. 3,93,400/–	09.06.2026	रु. 10,000/–	01.06.2026 को 10.00 बजे पूर्वा. से 5.30 बजे अप.	10.06.2026 को 02.00 बजे अप. से 3.00 बजे अप.	*निल/ज्ञात नहीं

***साथ ही 18% की दर से यथाप्रयोज्य भावी ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि जो भुगतान तथा/अथवा उसकी वसूली की तिथि तक हुए हैं। ** पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान में कॉलम सं. ङ में प्रकटित को छोड़कर उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत आस्तियों के सन्दर्भ में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं। पुनः ऐसे ऋण भार सफल क्रेता/संविदाकार द्वारा अपने दायित्व पर दिये/अदा किये जायेंगे। सम्भावित क्रेता(ओं)/संविदाकारों से उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता स्वतन्त्र रूप से सुनिश्चित करने का निवेदन है।**

1. अब तक उपर्युक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, एलिनिएट करने तथा/अथवा निस्तारण से पीएनबी एचएफएल/पीएनबी एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी को प्रतिबन्धित करने का कोई आदेश तथा/कोर्ट इंजक्शन नहीं है।2. सम्भावित क्रेता/संविदाकार तथा इच्छुक पार्टियां पीएनबी एचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व के दस्तावेजों से सम्बन्धित या स्वामित्व सहित कॉलम–ङ में उल्लिखित कार्यवाही/पारित आदेश आदि में मुकदमे से सम्बन्धित स्वतन्त्र निरीक्षण कर सकती हैं और अपनी निविदा/संविदा आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव करने से पूर्व सभी पक्षों में स्वयं को सन्तुष्ट कर सकती हैं। संविदाकार(रों) को संविदा प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियम एवं शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा।3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के सन्दर्भ में संविदाकार/क्रेता बिक्री मूल्य का 25% (जमा धरोहर राशि, यदि कोई हो, सहित) उसी दिन या या अधिकतम अगले दिन जमा करने के लिए बाध्य होगा। यह बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य के 25% राशि की प्राप्ति के बाद ही संविदाकार(रों) के पक्ष में पुष्टि की जायेगी। बिक्री मूल्य का शेष 75% राशि बिक्री की पुष्टि पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा जमा किया जाना है और इस राशि को जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति/प्रतिभूति आस्ति की पुनः बिक्री की जायेगी।4. मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (विक्रेता का नामोल्लेख करें) ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालित करने वाले अधिकृत प्राधिकारी की सहायता करेंगे जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नं. 68, 3सरा तल, सेक्टर 44, गुरुग्राम, हरियाणा–122003, वेबसाइट : www.bankeauctions.com है। सम्पत्ति के निरीक्षण अथवा संविदा दस्तावेज प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी सहायता तथा किसी अन्य पूछताछ या पंजीकरण हेतु आप सम्पर्क करें : सत्येन्द्र शर्मा, टोल फ्री नं. 1800 120 8800, ई–मेलः auction@pnbhousing.com जो पीएनबीएचएफएल के अधिकृत व्यक्ति हैं अथवा या www.pnbhousing.com का सन्दर्भ लें।

स्थान : आगरा, तिथि : 06.05.2026
ह./– अधिकृत प्राधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

SAVE सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
कार्यालयः यूनिट नंबर 761, 7वीं मंजिल वेगास मॉल, प्लॉट नंबर 06, सेक्टर–14, द्वारका, नई दिल्ली–110075, ई–मेलः info@newhabitat.in, info@savehfl.in
वेबः www.savehfl.in, मो.: +91-9289783317

ई–नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत NBFC/HFC के प्रभारित चल/अचल आस्तियों की बिक्री सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में न्यू हैबिटेट हाउसिंग फाइनेंस एंड डेवलपमेंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित संपत्ति को कब्जा ले लिया है। व्यापक रूप से आम लोगों को सूचित किया जाता है कि NBFC/HFC बकाया की वसूली हेतु निम्नवर्णित मामले में प्रभारित संपत्तियों की ई–नीलामी (सरफासी अधिनियम 2002 के अंतर्गत) "जैसा है जहां है आधार, जैसा है वैसा ही आधार है, जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी।

क्र. सं.	कर्जदारों का नाम	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि व समय समयः 60 मिनट	वसूली हेतु बकाया राशि जिसके लिए संपत्ति बेची जा रही है।
1.	1. दीपक पुत्र सुन्दरलाल और 2. वन्दना गर्ग पत्नी सुन्दरलाल ऋण खाता संख्या HSG/N/HEA/NOI/0622/0005	फ्लैट संख्या यूजीएफ–5, एल.आई.जी ऊपरी भूतल, पिछला भाग दायीं ओर, बिना छत अधिकार के, जिसमें एक ड्राइंग/डाइनिंग रूम, एक बेडरूम, एक शौचालय, एक रसोईघर और एक बालकनी है, कुल कवर्ड एरिया 350 वर्ग फीट यानी 32.51 वर्ग मीटर, आवासीय प्लॉट नंबर ए–118, ब्लॉक–ए, "एस.एल.एफ. वेद विहार", पुस्ता रोड, हदबस्त ग्राम सादुल्लाबाद, परगना और तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 में स्थित है। (भौतिक कब्जा के साथ)	आर.पी.–रु. 8 लाख ईएमडी–रु. 80,000.00 रु. 25,000/-	26/05/2026 पूर्वा 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	कुल बकाया रुपये 11,49,000/– दिनांक 02/05/2026 तक
			ईएमडी एवं दस्तावेज की अंतिम तिथि एवं समयः 25.05.2026 को 4.00 बजे अप. तक संपत्ति की निरिक्षण की तिथि एवं समय : 22.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अपों.।		
2.	1. पृथ्वी सिंह पुत्र लाल सिंह 2. लाल सिंह पुत्र लीला राम एवं 3. कुमारी रितु पुत्री शंभु दयाल ऋण खाता संख्या HSG/N/HEA/JKP/0123/0004	आवासीय फ्लैट नंबर टीएफ–1, छत के अधिकार के साथ, पीछे की ओर बायां भाग प्लॉट नंबर बी–51, कवर एरिया 58.52 वर्ग मीटर मीन 70 वर्ग गज, गंगा विहार, ग्राम सादुल्लाबाद, परगना एवं तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (भौतिक कब्जा के साथ)	आर.पी.–रु. 14 लाख ईएमडी–रु. 1,40,000.00 रु. 25,000/-	10/06/2026 पूर्वा 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	कुल बकाया रुपये 22,95,000/– दिनांक 02/05/2026 तक
			ईएमडी एवं दस्तावेज की अंतिम तिथि एवं समयः 09.06.2026 को 4.00 बजे अप. तक संपत्ति की निरिक्षण की तिथि एवं समय : 08.06.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अपों.।		
3.	1. नीरज चौहान पुत्र नंद लाल चौहान, 2. शाहिदा चौहान पत्नी नीरज चौहान, और 3. अर्जुन (गारंटर) ऋण खाता संख्या HSG/N/HEA/NOI/0123/0002	आवासीय फ्लैट नंबर जीएफ–04ए, बिना छत के अधिकार के ग्राउंड फ्लोर, सामने बाईं ओर, एल.आई.जी. प्लॉट नंबर बी–38, खसरा नंबर 218 और प्लॉट नंबर बी–39 खसरा नंबर 217, क्षेत्रफल 330 वर्ग फीट मिन. 30.66 वर्ग मीटर, आवासीय कॉलोनी रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड, गांव सादुल्लाबाद, तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201001 (भौतिक कब्जा के साथ)	आर.पी.–रु. 8 लाख ईएमडी–रु. 80,000.00 रु. 25,000/-	26/05/2026 पूर्वा 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	कुल बकाया रुपये 13,36,000/– दिनांक 02/05/2026 तक
			ईएमडी एवं दस्तावेज की अंतिम तिथि एवं समयः 25.05.2026 को 4.00 बजे अप. तक संपत्ति की निरिक्षण की तिथि एवं समय : 22.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अपों.।		
4.	1. समय सिंह चौहान पुत्र सुबे सिंह चौहान, 2. अमर सिंह चौहान पुत्र समय सिंह चौहान और 3. मीना सिंह चौहान पत्नी समय सिंह चौहान ऋण खाता संख्या HSG/N/HEA/NOI/0921/0004	फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट नंबर जीएफ–2 (भूतल) (एम.आई.जी) (पीछे की ओर दाईं) (छत के अधिकार के बिना) कवर्ड एरिया 500 वर्ग फीट यानी 46.45 वर्ग मीटर जिसमें 2 बेडरूम, 1 ड्राइंग/डाइनिंग रूम, 1 किचेन और दो शौचालय हैं प्लॉट बी–66, ब्लॉक–बी, खसरा नंबर 237, आवासीय कॉलोनी रेल विहार, हदबस्त गांव–सादुल्लाबाद, परगना और तहसील–लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। (भौतिक कब्जा के साथ)	आर.पी.–रु. 8 लाख ईएमडी–रु. 80,000.00 रु. 25,000/-	26/05/2026 पूर्वा 11.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक (5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)	कुल बकाया रुपये 12,96,000/– दिनांक 02/05/2026 तक
			ईएमडी एवं दस्तावेज की अंतिम तिथि एवं समयः 25.05.2026 को 4.00 बजे अप. तक संपत्ति की निरिक्षण की तिथि एवं समय : 22.05.2026 को 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अपों.।		

अधिक जानकारी के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें– 9289783317
"नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार है : 1) ई–नीलामी एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा अनुमोदित सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से उनकी वेबसाइट - **www.bankeauctions.com** पर "ऑन लाइन" आयोजित होगी। संपर्क करें निखिलेश कुमार, मोबाइल–7080804466, Email- delhi@c1india.com, हेल्पलाइन नंबर - 7291981124,25,26. 2) इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को लाभभोगी सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, सी बी नोएडा (04077) शाखा, नोएडा, उत्तर प्रदेश – 201301, आईएफएससी कोड : SBIN0004077 के नाम में खाता संख्या 00000036728174634, में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी/अंतरण/चेक द्वारा अथवा सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में देय दिल्ली में भुगतान योग्य किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक के द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा। 3) सफल बोलीदाता को बिक्री के दिन ही 25% बोली राशि (ईएमआई सहित) का भुगतान करना होगा तथा शेष 75% राशि का भुगतान बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जायेगा। 4) निर्धारित अवधि में सफल बोलीदाता/नीलामी के क्रेता द्वारा भुगतान में चूक करने पर बिक्री रद्द कर दी जाएगी तथा पूर्व–प्रदत्त राशि (ईएमआई सहित) जब्त कर ली जाएगी। 5) प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है तथा किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अथवा ई–नीलामी को निरस्त/निलंबित करने अथवा कोई भी कारण बताये बिना किसी भी चरण में नीलामी प्रक्रिया से संपत्ति या उसके किसी भाग को वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। 6) ई–नीलामी के अन्य नियम एवं शर्तें निम्न वेबसाईट पर उपलब्ध हैं **www.bankeauctions.com** तथा **www.savehfl.in**

दिनांक 06–05–2026, स्थानः नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, सेव हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 6वीं मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा का पताः प्रथम तल, सत्या बिजनेस पार्क, 1, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन– 226001

ई–नीलामी–बिक्री सूचना
सरफेसी ऐक्ट के तहत
सुरक्षित अचल आस्ति की बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा सर्व साधारण को तथा विशेष रूप से कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधकदाता(ओं)/गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि अधोवर्णित अचल सम्पत्तियां गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (इसमें आगे अधिनियम के अनुसार "प्रतिभूत लेनदार" कही गई है) के पक्ष में बंधक रखी गई थीं। उक्त सम्पत्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ले लिया है। प्रतिभूत आस्तियां "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" के आधार" पर कॉलम (जे) में वर्णित तिथि को ई–नीलामी के माध्यम से बेची जाएगी। एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हम सार्वजनिक नीलामी का संचालन वेबसाइट **https://www.bankeauctions.com** पर उपलब्ध कराए गए ई–नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से करेंगे। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामतः **www.grihumhousing.com** देखें।

क्र. सं.	प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना की तिथि और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार (सी)	सम्पत्ति का विवरण (डी)	सुरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी की 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय वाद, यदि कोई (के)
1	ऋण नं. HF0043H20100469 आशीष शुक्ला (कर्जदार) संतोषी शुक्ला (सह–कर्जदार)	नोटिस दिनांकः 09.10.2025 कुल बकायाः रु. 8,43,380/– (रु. आठ लाख तैतालीस हजार तीन सौ अस्सी मात्र) 09.10.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @16.6% प्रति वर्ष ब्याज भी देय	भौतिक	संपत्ति का वह संपूर्ण भाग और टुकड़ा जोकि मकान संख्या 441M/225N क्षेत्रफल 1080 वर्ग फुट (अर्थात 100.371 वर्ग मीटर) भूखंड संख्या 14 की संपूर्ण भूमि और भूखंड संख्या 15 की आंशिक भूमि, तथा खसरा संख्या 624 से 626 का भाग वार्ड बाल–कगंज (बालागंज) जनपद एवं जिला लखनऊ सीमाएंः पूर्वः भूमि संख्या 15 का शेष भाग, पश्चिमः भूमि संख्या 13, उत्तरः अन्य भूमि, दक्षिणः 12 फुट चौड़ी सड़क	रु. 22,44,375/– (रु. बाईस लाख चौवालीस हजार तीन सौ पिचहत्तर मात्र)	रु. 2,24,437.50 (रु. दो लाख चौबीस हजार चार सौ सैंतीस और पैसे पचास मात्र)	06.06.2026 अप. 05 बजे से पूर्व	10,000/–	01.06.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 4 बजे)	08.06.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 2 बजे)	शून्य
2	ऋण नं. HL00671100000005032715 जुनेद अली (कर्जदार) यासमीन पुत्री मो. सादिक (सह–कर्जदार)	नोटिस दिनांकः 11.11.2025 कुल बकायाः रु. 8,97,803/– (रु. आठ लाख सत्तान्वे हजार आठ सौ तीन मात्र) 11.11.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @15.6% प्रति वर्ष ब्याज भी देय	भौतिक	अराजी नंबर 20 का समस्त टुकड़ा और पार्सल जोकि क्षेत्रफल 70.26 वर्ग मीटर संबंधित खसरा नं. 63 मुस्तफाबाद एहतनाली ताड और जिला, मुरादाबाद संपत्ति की सीमाएंः पूर्वः निजी अराजी नंबर 19, पश्चिमः प्राइवेट अराजी नंबर 21 उत्तरः सड़क 12 फीट चौड़ी, दक्षिणः निजी अराजी नंबर 13	रु. 52,00,000/– (रु. बावन लाख मात्र)	रु. 52000/– (रु. बावन हजार मात्र)	25.05.2026 अप. 05 बजे से पूर्व	10,000/–	14.05.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 4 बजे)	26.05.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 2 बजे)	शून्य
3	ऋण नं. LAP06042000000005023791 नंद किशोर (कर्जदार) मूलो देवी (सह–कर्जदार) शकुंतला पत्नी नंद किशोर	नोटिस दिनांकः 08.08.2025 कुल बकायाः रु. 8,91,833/– (रु. आठ लाख इक्यान्वे हजार छह सौ तैतीस मात्र) 08.08.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @16.85% प्रति वर्ष ब्याज भी देय	भौतिक	आवासीय प्लॉट/मकान का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा जोकि खसरा नंबर 150 का भाग, गाँव मसीत, परगना, तहसील और जिला बरेली क्षेत्रफल 158.16 वर्ग मी. सीमाएंः – पूर्व – आराजी बाग, पश्चिम – आराजी मोहन स्वरूप, उत्तर – आराजी मोहन स्वरूप, दक्षिण – 30 फीट चौड़ी सड़क	रु. 25,40,125/– (रु. पच्चीस लाख चालीस हजार एक सौ पच्चीस मात्र)	रु. 2,54,012.50 (रु. दो लाख चौवन हजार बारह और पैसे पचास मात्र)	06.06.2026 अप. 05 बजे से पूर्व	10,000/–	01.06.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 4 बजे)	08.06.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 2 बजे)	शून्य
4	ऋण नं. HL00630100000005030328 जहरा हसन (कर्जदार) सैयद काजिम मेहदी (सह–कर्जदार)	नोटिस दिनांकः 11.02.2025 कुल बकायाः रु. 13,14,516/– (रु. तेरह लाख चौदह हजार पाँच सौ सोलह मात्र) 11.02.2025 तक देय, साथ ही वसूली तक @14.35% प्रति वर्ष ब्याज भी देय	भौतिक	संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट खसरा न. 246 और चौकी भूमि खसरा न. 257, बिक्री योग्य हिस्सा माप 500 वर्ग फुट, यानी 46.468 वर्ग मीटर, गाँव नारायणपुर (टोपीवाला), वार्ड–बालकम्पन/वीरतानगर, तहसील और जिला लखनऊ, यू.पी. सीमाएंः पूर्व – जफर का मकान, पश्चिम – विक्रेता का शेष हिस्सा, उत्तर – 15 फुट चौड़ी सड़क, दक्षिण – बीगर का मकान	रु. 11,37,500/– (रु. ग्यारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र)	रु. 1,13,750/– (रु. एक लाख तेरह हजार सात सौ पचास मात्र)	06.06.2026 अप. 05 बजे से पूर्व	10,000/–	01.06.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 4 बजे)	08.06.2026 (पूर्वा. 11 बजे अप. 2 बजे)	शून्य

इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को बोली जमा करने से पहले प्रतिभूत लेनदार की शाखा आने और स्वयं जांच संचालित करने तथा अतिरिक्त प्रभार, ऋणभार तथा तृतीय पक्ष हित अभिनिश्चित करने तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि करने की सलाह दी जाती है। सम्पत्ति के साथ संबद्ध सभी सांविधिक देयताएं जैसेकि सम्पत्ति कर, बिजली/पानी बकाया तथा अन्य बकाया, यदि कोई, सफल बोलीदाता द्वारा अभिनिश्चित और अदा किए जाएंगे। इच्छुक बोलीदाताओं को ई–बिडिंग के लिए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना और नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्र. लि. पता – प्लॉट नं. 68, तृतीय तल, गुरुग्राम, हरियाणा–122003, हेल्पलाइन नं. – 7291981124, 25, 26 सपोर्ट ई–मेल आईडी Support@bankeauctuions.com सम्पर्क व्यक्ति धरणी पी ई–मेल आईडी dharani.p@c1india.com सम्पर्क नंबर – 9948182222 से लॉगइन आईडी और पासवर्ड पर्याप्त अग्रिम में प्राप्त करना होगा, जो ई–बिडिंग के लिए अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि प्रत्याशी बोलीदाता ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण केवल उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को धरोहर राशि जमा (ईएमडी) किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा "गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" के खाते में बैंक–आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, खाता संख्या : 091551000028 तथा IFSC कोड ICIC0000915 आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर – 411014 में कॉलम (जी) में वर्णित तिथि तक अथवा उससे पूर्व जमा करनी होगी तथा अपना नाम **https://www.bankeauctions.com** पर पंजीकृत करवाना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और ई–नीलामी पर प्रशिक्षण सेवा प्रदाता से प्राप्त करना होगा। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड, ई–मेल करनी होंगी तथा स्व–सत्यापित भौतिक प्रतियां पता : प्रथम तल, सत्या बिजनेस पार्क, 1, नवल किशोर रोड, हजरतगंज, लखनऊ, पिन– 226001 मोबाइल नंबर +91 8281138143 ईमेल आईडी **p.adith@grihumhousing.com** को प्रेषित करनी होंगी। नियम और शर्तों की अधिक जानकारी के लिए कृपया **https://www.bankeauctions.com** और **www.grihumhousing.com** पर जाएं और ई–ऑक्शन में हिस्सा लें। इस नोटिस को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के तहत कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर को 15/30 दिन का नोटिस भी माना जाए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री के बीच कोई अंतर है, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

दिनांकः 07.05.2026, स्थानः उत्तर प्रदेश
हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड